न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

ठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

जस्व वाद संख्या : 83/2019

CMS No. : 2019/00039

वादीगण :–	बनाम	प्रतिवादीगणः–
1. पनाराम पुत्र खींयाराम		1. किशनाराम पुत्र खींयाराम
2. देवाराम पुत्र खींयाराम		2. मोहनलाल पुत्र खींयाराम
3. चेनाराम पुत्र खींयाराम		3. चम्पालाल पुत्र खींयाराम
4. मांगीलाल पुत्र खींयाराम जातियान– माली निवासीगण– निम्बोल, तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज.।		जातियान– माली, निवासी– निम्बोल, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।

राजस्व वाद बाबत् **घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955,** **तारीख रजू:. 11/04/2019**

उपस्थितः–

1. श्री चुतराराम भाटी, श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, वादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक :– 30/12/2021**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा निम्बोल पटवार हल्का निम्बोल में वादीगण व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी शामलाती खातेदारी की जमीन निम्न लिखित खसरान की आई हुई है। खसरा नम्बर 454/2 रकबा 11–18 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 457/1 रकबा 01–03 बीघा किस्म बारानी दोयम। उपरोक्त खसरान की भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या– एक किशनाराम का बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। इसी हिस्से माफिक मौके पर काश्त करते आ रहे हैं। खसरा नम्बर– 454/2 में प्रतिवादी संख्या– दो व तीन का नाम गलत दर्ज है इनकी जगह वादीगण व प्रतिवादी संख्या– एक का नाम दर्ज होना जरूरी है प्रतिवादी संख्या– दो तीन का मौके पर कोई कब्जा व काश्त नहीं है वादीगण व प्रतिवादी संख्या– एक का बहिस्सा बराबर आया हुआ है। इसी हिस्से माफिक राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना जरूरी है। खसरा नम्बर–457/1 में केवल मात्र प्रतिवादी संख्या– एक का नाम दर्ज है जो गलत है, इसकी जगह वादीगण व प्रतिवादी संख्या एक का बहिस्सा बराबर दर्ज किया जाना जरूरी है मौके पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या एक का बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त आया हुआ है एवं इसी हिस्से माफिक मौके पर काश्त करते आ रहे है प्रतिवादी संख्या– एक का अकेले का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है जो गलत इनकी जगह वादीगण व प्रतिवादी संख्या– एक का नाम बहिस्सा बराबर दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:31:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

[कि]या जाना जरूरी हैं। प्रतिवादी संख्या- एक किशनाराम घर का मुख्या(कर्ता) होने [से] खसरा नम्बर- 457/1 अकेले का नाम दर्ज कर दिया जबकि वादीगण व [प्र]तिवादी संख्या- एक संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे है मौके पर संयुक्त काश्त [क]रने से राजस्व रेकर्ड में सुधार करवाना जरूरी हैं। राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज [हो]ने से आपस में विवाद होता रहता है इसलिए वादीगण व प्रतिवादी संख्या- एक [आ]पस में संगे भाई होने से दोनो खसरान नम्बर-454/2,457/1 में वादीगण व [प्र]तिवादी संख्या- एक का बहिस्सा बराबर किया जाना जरूरी है प्रतिवादी संख्या- [दो] व तीन का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाना जरूरी है। वादीगण का विनाय [द]ावा दिनांक 30-1-2019 को जब वादीगण ने राजस्व रेकर्ड में सुधार करवाने के [लि]ए प्रतिवादीगण को कहा और प्रतिवादीगण ने राजस्व रेकर्ड में सुधार करवाने से [म]ना करने पर बमुकाम निम्बोल में पैदा हुआ जो अदालत बाला के क्षेत्राधिकार में है य वाद अन्दर मयाद पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन वास्ते जवाबदावा तलब किये गये। प्रतिवादीगण बावजूद सम्मन तामिल सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादी ने वाद के समर्थन में शहादत के साक्ष्य शपथपत्र वादी पीडब्यलू-1 पेश किए, सामिल मिसल है।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया। पत्रावली का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है।

1. वादीगण द्वारा वादपत्र में निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम निम्बोल की खसरा संख्या 454/2 रकबा 11-18 बीघा, खसरा संख्या 457/1 रकबा 01-03 बीघा जो कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक पुश्तैनी शामलाती खातेदारी भूमि है। जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 किशनाराम का बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त चला आ रहा है। खसरा संख्या 452/2 में प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 का नाम गलत दर्ज है इनके स्थान पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 का नाम दर्ज होना चाहिए। इसी प्रकार खसरा संख्या 457/1 में केवल प्रतिवादी संख्या एक किशनाराम के नाम गलत रूप से दर्ज हैं इसके स्थान पर यह वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक के नाम बराबर हिस्सा में दर्ज होनी चाहिए।

2. वादीगण द्वारा वादपत्र के समर्थन में वादी मांगीलाल का साक्ष्य [illegible] PW-1, वादी देवाराम का साक्ष्य शपथपत्र PW-2 प्रस्तुत कर शपथपत्र पर [वाद]पत्र [में] वर्णित कथनों एवं तथ्यों का समर्थन किया तथा दस्तावेजात [illegible] ग्राम निम्बोल की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के अनुसार खसरा संख्या [4]54/2 में पनाराम, देवाराम, चैनाराम, मांगीलाल पि0 खियाराम, किशना पुत्र [illegible]ा, मोहन पुत्र किशना, चम्पा पुत्र पन्ना बतौर खातेदार दर्ज है। इसी प्रकार प्रदर्श-2 ग्राम निम्बोल की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के अनुसार खसरा संख्या 457/1

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishn[oi]
Date: 2022.01.24 18:31:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

किशना पुत्र खिया दर्ज है। वादीगण द्वारा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये ।

. वादीगण के वादपत्र एवं इसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजात् के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया हैं कि खसरा संख्या 454/2 में प्रतिवादी संख्या 02 व 03 का नाम गलत रूप से दर्ज है लेकिन वादीगण द्वारा सिवास सम्वत् 2073 से 2076 की ग्राम निम्बोल की एक जमाबन्दी के अलावा इस बाबत् कोई दस्तावेजात् प्रस्तुत नहीं किये है। वादीगण यह भी स्पष्ट करनें में पूर्णतया असफल रहे है कि प्रतिवादी संख्या 02 व 03 का नाम कब व किस कारण दर्ज हुआ तथा उनके नाम की प्रविष्टि गलत क्यों और किस प्रकार से है। इसी प्रकार खसरा संख्या 457/1 जो प्रतिवादी संख्या 01 किशनाराम के नाम खातेदारी दर्ज हैं। जो कि वादीगण के द्वारा इस बाबत् प्रस्तुत एक मात्र साक्ष्य प्रदर्श–2 से साबित होता है। वादीगण का दावा की उक्त खसरा की आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 किशनाराम के साथ वादीगण का भी नाम दर्ज होना चाहिये, बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। वादीगण यह साबित करनें में असफल रहे है कि खसरा संख्या 457/1 की आराजी में उनका हक हिस्सा किस कारण से एवं कितना निहित है। अतः हमारें विनम्र अभिमत में वादीगण वादपत्र को साबित करनें में पूर्णतया असफल रह्वे है तथा वादपत्र पूर्णतया सारहीन है, अतः इसे अस्वीकार/खारिज किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीगण अंतर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 सपठित धारा 136 भू– राजस्व अधिनियम बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज़ किया जाता है। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 30/12/2021 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:31:07 IST
Reason: SelfAttested